

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/

दिनांक : /08/2017

—: आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सक जो लम्बी अनुपस्थिति/प्रशासनिक कारणों से निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में हैं, का उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापन किया जाता है :-

क्र.स.	नाम चि0अ0	पदस्थापन स्थान
1	डॉ0 शिवकान्त शर्मा, चि0अ0, 2013	सामु0स्वा0केन्द्र हरसोली, अलवर
2	डॉ0 दयाल शर्मा, चि0अ0 मेडिसिन, 2008	सामु0स्वा0केन्द्र पुगल, बीकानेर
3	डॉ0 सुभाष चन्द बिदासरा, व0वि0 (मेडिसिन), 1994	सामु0स्वा0केन्द्र रावतसर, हनुमानगढ़
4	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार चौधरी, चि0अ0, 2015	प्रा0स्वा0केन्द्र पुनाना, जयपुर
5	डॉ0 नोपल शर्मा, चि0अ0, 2015	प्रा0स्वा0केन्द्र विपारपुर, धौलपुर

नोट :- क्रम संख्या 01 से 04 तक अंकित चिकित्सकों को आज मध्यान्ह पश्चात् तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/275

दिनांक : 8/08/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-संबंधित।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर को भेजकर लेख है कि डा0 नोपल शर्मा, चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुपस्थिति अवधि के लिए सीसीए नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप पत्रादि तैयार कर सात दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सकों को पालनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावें।
9. निजि/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।